उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 13 मार्च, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में" श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री कली राम एवं अन्य निवासीगण, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बंजारेवाला-खेड़ी शिकोपुर-सिकरोढ़ा-फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला तक सड़क निर्माण के संबंध में" श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह एवं अन्य निवासीगण, बंजारेवाला, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के मजाहदपुर सतीवाला गांव में रतमऊ नदी पर पुल का निर्माण के संबंध में" श्री अजीम पुत्र श्री राव वसीम एवं अन्य निवासीगण, लाल वाला खालसा ब्लाक भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के संबंध में" श्री नित्यानन्द मण्डल पुत्र स्व0 श्री सुधीर मण्डल एवं अन्य निवासीगण, ग्राम- मोतीपुर, न0-1, पोस्ट-दिनेशपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ए0एन0के0 इण्टर कालेज गूलर भोज को सवित्त मान्यता दिये जाने विषयक" श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गुरूबख्श सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम चन्दायन, पोस्ट गूलर भोज जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत जोगीवाला मुख्य चौक से काली माता-नवादा बद्रीपुर रोड़ के चौड़ीकरण/डामरीकरण के संबंध में" श्री सुभाष चन्द्र भट्ट एवं अन्य निवासीगण, बद्रीपुर पो0 जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

(शोधन वक्तव्य के लिये देखिये नत्थी **"ग"**)

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 5792917 हजार (पाँच सौ उनासी करोड़ उन्तीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(2) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 7845248 हजार (सात सौ चौरासी करोड़ बावन लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

(3) पेयजल मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 6284803 हजार (छः सौ अठ्ठाईस करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

(4) वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 3324703 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

(5) परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 1415379 हजार (एक सौ इकतालीस करोड़ तिरपन लाख उनासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

(6) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 4107200 हजार (चार सौ दस करोड़ बहत्तर लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

(7) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 246613 हजार (चौबीस करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ञ)**)

(8) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 3266270 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ट)**)

(9) खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रूपये 357444 हजार (पैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))

(10) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 2716273 हजार (दो सौ इकहत्तर करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(11) पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 854318 हजार (पचासी करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ढ़))

(12) आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 71325 हजार (सात करोड़ तेरह लाख पचीस हाजर मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ण))

(13) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 18770501 हजार (अठारह सौ सतहत्तर करोड़ पांच लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (त))

(14) श्रम मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 633529 हजार (तिरसठ करोड़ पैंतीस लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (थ))

(15) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि **रूपये 796810 हजार (उनासी करोड़ अड़सठ लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(द)**)

16. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

17. उत्तराखण्ड तराई बीज एवं विकास निगम के माध्यम से कृषकों को सब्सिडी वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही कोर वैली योजना में बीज माफियाओं को कमीशन लेकर बीज बेचने के संबंध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को दी गई सूचना पर, कृषि मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 13 मार्च, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 13 मार्च, 2008)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 18–02–2008	**1. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सचिवालय में पद मापदण्ड निर्धारण विभाग का सृजन किया गया है? यदि नहीं, तो वित्त विभाग द्वारा नए पदों के सृजन की सहमति दिए जाने हेतु क्या पैरामीटर्स/मानक निर्धारित किए गए हैं?	सचिवालय प्रशासन

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' *1. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त
21–01–2008

श्री सुरेन्द्र राकेश *2. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी जनपदवार विवरण क्या है? सरकार ने जनपदवार अब तक कितने परिवारों को पट्टे आवंटित किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **राजस्व**
21–01–2008

श्री सुरेन्द्र राकेश *3. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में फसलों की उत्पादन क्षमता विगत वर्षों की अपेक्षा कम हो गयी है? यदि हाँ तो उत्पादन क्षमता कम होने के क्या कारण है? क्या सरकार द्वारा फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई ठोस प्रयास किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या? **कृषि**
22–01–2008

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' *4. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जिला हरिद्वार के अन्तर्गत पथरी क्षेत्र की वन गूजर बस्ती, विस्थापन के 10 वर्ष के उपरान्त भी राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं है? क्या यह सही है कि राजस्व ग्राम न होने के कारण वन गूजर समुदाय को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ तो क्या सरकार पथरी गूजर बस्ती की वन भूमि को वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित करवा कर राजस्व ग्राम का दर्जा देने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **राजस्व**
22–01–2008

श्री मुन्ना सिंह चौहान 24–01–2008	*5. क्या दैवीय आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में कौन–कौन से क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से संकट ग्रस्त हैं तथा उनका विवरण क्या है? क्या संकट ग्रस्त क्षेत्रों से अभी तक विस्थापन नहीं हुआ है? यदि हाँ तो पुनर्वास की क्या योजना है?	आपदा प्रबन्धन
श्री मुन्ना सिंह चौहान 24–01–2008	*6. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 द्वारा आवंटित भूखण्डों की लीज के स्थानांतरण (ट्रांसफर) पर क्या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोई रोक लगायी गयी है? यदि हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय सोम के तारा0 08 में स्था0
श्री राजेश जुवाँठा 28–01–2008	*7. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के छः गाँव लिवाड़ी, राला, कासला, हरिपुर, रेक्चा एवं फिताड़ी के लोगों को खाद्यान सामग्री के लिए 16 कि0मी0 दूर जखोल आना पड़ता है? क्या सरकार इन गाँवों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए फिताड़ी में खाद्यान गोदाम खोलने हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
श्री राजेश जुवाँठा 29–01–2008	*8. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में आये दिन दैवीय आपदा भूकम्प, भू–स्खलन, अतिवृष्टि आदि से प्रदेश के निवासियों के आवासीय मकानों तथा कृषि योग्य काश्तकारी भूमि को भारी क्षति व नुकसान होता है? क्या यह सत्य है कि किसानों/प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रभावित काश्तकारों को हुए नुकसान के अनुरूप मुआवजा देने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है? यदि नहीं तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री सुरेन्द्र राकेश 30–01–2008	*9. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार को आवंटित किये जाने वाले कैरोसीन तेल का कोटा वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2007 में लगभग आधा कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इतनी भारी कटौती किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार आवश्यकता के अनुरूप कोटा आवंटित करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	खाद्य
श्री ओम गोपाल 01–02–2008	*10. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा प्रबन्धन मुआवज़ा राशि के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान/ज़मीन का मुआवज़ा प्रति नाली 250 रू0 के हिसाब से दिया जा रहा है? क्या उपरोक्त राशि प्रभावित व्यक्ति/परिवार हेतु पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आपदा प्रबन्धन राशि के मानक परिवर्तित कराने हेतु भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री प्रेमानन्द महाजन 04–02–2008	*11. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 60 पन्तनगर–गदरपुर वि0स0 क्षेत्र उधमसिंह नगर में कितने एकड़ कृषि भूमि को आवास निर्माण हेतु आवासीय भूमि में परिवर्तित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?	राजस्व
श्री ओम गोपाल 05–02–2008	*12. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 के माह अगस्त में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी दोगी, धमान्दस्यूं कुजणी, भरपूर, क्वीली–पालकोट, धारअकिरिया, मखलोगी में भारी वर्षा व अतिवृष्टि से भूस्खलन के कारण ग्रामीणों के मकान व जमीन पूर्णतः/आंशिक रूप से कितने क्षतिग्रस्त हुए? क्या मंत्री जी भिज्ञ है कि उनके द्वारा स्वयं प्रभावित स्थलों का भ्रमण भी किया गया जिसमें से दुआधार, ग्राम सभा–आगर में मंत्री जी ने ग्रामीणों को तत्काल अन्यत्र पुनर्वासित करने का आश्वासन दिया था? यदि हाँ, तो अभी तक भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित न किये जाने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध कराये जाने तथा सूचीबद्ध परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित करेंगे? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान समय में कितने परिवारों का पुनर्वास प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री प्रेमानन्द महाजन 05–02–2008	*13. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 60 पन्तनगर–गदरपुर वि0स0 क्षेत्र उधमसिंहनगर में कितने बिल्डर कार्यरत हैं तथा प्रत्येक बिल्डर के पास कितनी–कितनी भूमि है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बिल्डरों को भूमि आवंटन के समय किन औपचारिकताओं को पूर्ण कराया जाता है तथा शहरी आवास निर्माण के लिए क्या मानक हैं?	चतुर्थ सोम के तारांकित प्रश्न 05 में स्था0
श्री मयूख महर 05–02–2008	*14. क्या पशु पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के पीपली कस्बे में मुख्य आबादी से 5 कि0मी0 दूर स्थित जंगल में विभाग द्वारा पशु पालन केन्द्र कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त केन्द्र में एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है तथा एक भी पशु की उक्त स्थान पर चिकित्सा नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा पुनः उक्त भवन के मरम्मत हेतु धन प्रदान किया गया है? यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है? क्या सरकार गलत स्थान पर केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति देने वाले अधिकारी पर तथा पुनः उस हेतु धन स्वीकृत करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05–02–2008	*15. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जमीन का मुआवजा दिये जाने के मानक क्या हैं? सरकार द्वारा इन मानकों को सरलीकरण किये जाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री गोपाल सिंह रावत
06–02–2008

*16. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1991 से पूर्व जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में जनता तथा वादकारियों की सुविधा हेतु प्रत्येक माह आयुक्त गढ़वाल मण्डल शिविर कर वादों की सुनवाई करते थे? क्या यह सत्य है कि 1991 के बाद उक्त शिविर बन्द कर दिये गये है जिस कारण गरीब वादकारियों को पौड़ी जाना पड़ता है? क्या मंत्री जी गरीब वादकारियों के हितार्थ प्रत्येक माह आयुक्त गढ़वाल मण्डल का शिविर पूर्व की भांति प्रतिमाह एक दिन आयोजित करवाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? **राजस्व**

श्री गोपाल सिंह रावत
07–02–2008

*17. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ व भू–स्खलन के कारण हजारों नाली कृषि भूमि बह जाती है? क्या सरकार प्रभावित काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन अथवा सर्किल दरों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान कराने के लिए मानकों में संशोधन कराने हेतु विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **आपदा प्रबन्धन**

श्री मयूख महर
07–02–2008

*18. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि0ख0 मूनाकोट जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कानड़ी के लोगों को उनकी काबिज नाप भूमि में मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि मालिकाना हक न प्राप्त होने के कारण ग्रामवासियों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं? क्या सरकार ग्रामीणों को काबिज भूमि पर मालिकाना हक देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **राजस्व**

अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश
21–01–2008

1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड मण्डी समिति एक्ट बन गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एक्ट कब तक बनाकर लागू कर दिया जायेगा? **कृषि**

श्रीमती अमृता रावत
23–01–2008

2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 15 विकास खण्डों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कर दी जायेगी? **ग्राम्य विकास**

श्रीमती अमृता रावत
24–01–2008

3. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में स्थित पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों तथा पशुधन प्रसार केन्द्रों में पशुधन प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त होने से प्रदेश के पशुपालकों को पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी? **पशुपालन**

श्री मुन्ना सिंह चौहान 25–01–2008	4. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी मुख्यालय में ज्ञानसू नाले के दोनों और बसी घनी आबादी दैविक आपदा की दृष्टि से संकट ग्रस्त/अति संवेदनशील है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के ट्रीटमेन्ट पर कोई विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री मुन्ना सिंह चौहान 25–01–2008	5. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में भू–स्खलन सम्भावित क्षेत्रों की क्या कोई मैपिंग की गयी है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और इन भू–स्खलन सम्भावित क्षेत्रों के लिए क्या कोई नीति बनायी गयी है?	आपदा प्रबन्धन
श्री राजेश जुवाँठा 28–01–2008	6. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला विकास खण्ड मोरी के ग्राम ओसला में 25/12/07 को अग्नि काण्ड हुआ था? क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों की उचित व्यवस्था न होने के कारण लगभग 20 दिन बाद गाँव की एक महिला की ठंड के कारण मृत्यु हो गई? क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु कोई ठोस नीति बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री सुरेन्द्र राकेश 30–01–2008	7. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पालतू पशुओं में वर्ष 2001 के सापेक्ष वर्ष 2007 तक पशुधन में कितनी वृद्वि हुई है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण रहे है?	पशुपालन
श्री सुरेन्द्र राकेश 30–01–2008	**8. माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त**	
श्री प्रीतम सिंह 31–01–2008	9. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रदेश को कुल कितना धन उपलब्ध कराया गया है? क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गूलों में कोई परिवर्तन किया गया हैं? यदि हाँ तो किस आधार पर? यदि नहीं तो क्यों?	लघु सिंचाई
श्री खजानदास 01–02–2008	10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा में जौनपुर विकास खण्ड के कुछ भाग को अलग कर पृथक नैनबाग विकास खण्ड के सृजन किये जाने की माँग स्थानीय जनता द्वारा वर्ष 1980 से लगातार की जा रही है? क्या सरकार पृथक विकास खण्ड नैनबाग के सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?	ग्राम्य विकास
श्री मयूख महर 04–02–2008	11. क्या दैवीय आपदा मंत्री अवगत हैं कि गत वर्षात में पूरे प्रदेश में आपदा का सबसे अधिक प्रभाव जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना, डीडीहाट एवं धारचूला वि0ख0 को हुआ है? क्या यह सत्य है कि पीड़ित परिवारों को तत्समय जिला प्रशासन द्वारा सरकारी भवनों में अस्थायी रूप से रखा गया था? यदि हाँ तो क्या सरकार द्वारा उक्त आपदा पीड़ितों को अन्यत्र बसाने हेतु कोई प्रयास किया गया है? यदि हाँ तो उक्त प्रयास क्या थे व इससे कितने लोग लाभान्वित हुये हैं? यदि नहीं तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री राजेश जुवाँठा
04–02–2008

12. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गत तीन वर्षों से कितनी सिंचाई गूलों व हौजों का निर्माण हुआ है? क्या मंत्रीजी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में कितनी सिंचाई गूलों से सिंचाई हो रही है और कितनी ऐसी सिंचाई गूलें व हौज ऐसे हैं जिन पर आज तक पानी नहीं चला है? क्या सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? **लघु सिंचाई**

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
04–02–2008

13. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है तथा इनके सापेक्ष कुल कितने ग्राम्य विकास अधिकारी नियुक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इनकी संख्या मानकों के अनुकूल हैं? यदि नहीं, तो मानकानुकूल इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? **पंचायती राज**

श्री प्रेमानन्द महाजन
04–02–2008

14. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मंडी निदेशालय (कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड) रूद्रपुर के निर्माण में कितनी लागत आयी है? क्या मण्डी निदेशालय परिसर में मन्दिर का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो मन्दिर निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी? **कृषि**

श्रीमती अमृता रावत
05–02–2008

15. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यक्ष जिला प्रशासनिक कमेटी/जिला सहकारी बैं लि0 गढ़वाल (कोटद्वार) के पत्रांक 2518–5/2007–08/मकान किराया/व्यासचट्टी समिति दिनांक 03 सितम्बर 2007 के द्वारा सचिव साधन सहकारी समिति लि0 घिण्डवाड़ा, अतिरिक्त चार्ज साधन सहकारी समिति लि0 व्यासचट्टी, विकास खण्ड कोट पौड़ी गढ़वाल को फरवरी 2003 से जुलाई 2006 तक के मकान किराए का भुगतान मकान स्वामी को किए जाने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो अभी तक किराए का भुगतान न किए जाने के प्रति कौन उत्तरदाई है तथा कब तक मकान स्वामी को किराए का भुगतान किया जायेगा? क्या यह भी सत्य है कि साधन सहकारी समिति व्यासचट्टी पौड़ी गढ़वाल में सचिव का पद एक लम्बी अवधि से रिक्त चला आ रहा है? यदि हाँ, तो रिक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? **सहकारिता**

श्रीमती अमृता रावत
05–02–2008

16. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित पशु सेवा केन्द्र में पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति माह अक्टूबर 2007 के बैच से करवाना सुनिश्चित करने हेतु उपनिदेशक पशुपालन विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 697–98/स्था0 विविध/2007–08 दिनांक 26.5.07 द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल में पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति/तैनाती न किए जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती/नियुक्ति कर दी जायेगी? **पशुपालन**

श्री राजेश जुवाँठा
28–01–2008

17. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत वर्षों में कुल कितनी सिंचाई गूलों का निर्माण किया है? वर्तमान में किन–किन सिंचाई गूलों से कितनी भूमि सिंचित की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में ऐसी कितनी नहरें हैं जो बन्द पड़ी हैं? क्या सरकार इन बन्द पड़ी नहरों को खोले जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? **लघु सिंचाई**

श्रीमती अमृता रावत
05–02–2008

18. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि अभी तक पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल में स्थित विभागीय आवासीय भवनों में किसी कर्मचारी के निवास न करने के कारण भवन अनुपयोगी एवं धीरे–धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं? यदि हाँ तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा इन भवनों की सुरक्षा एवं नियमित अनुरक्षण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण क्या है? **पशुपालन**

श्री मयूख महर
06–02–2008

19. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि पूर्व में जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत ग्राम गौड़ीहाट से भटेड़ी हेतु 3 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था? क्या यह सत्य है कि ग्राम गौड़ीहाट से भटेड़ी की वास्तविक दूरी लगभग 7 कि0मी0 है जिसकी वन विभाग द्वारा अनापत्ति भी विभाग को प्राप्त हो गयी है किन्तु विभाग द्वारा 3 कि0मी0 रोड बना कर छोड़ दी गयी है जिस कारण मानक पूरा करने वाला चयनित ग्राम भटेड़ी मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित रह गया है? क्या उक्त मोटर मार्ग को सरकार उसके निर्धारित स्थान भटेड़ी तक बनायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **ग्राम्य विकास**

श्रीमती अमृता रावत
06–02–2008

20. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय बड़ूड़ को बहेड़ाखाल तथा पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल को बड़ूड़ अथवा गेण्ड में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 591 दिनांक 18 जून 1997 द्वारा आख्या उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल को प्रस्तुत की गई है? यदि हाँ तो तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रस्तुत आख्या पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है? **पशुपालन**

श्री प्रेमानन्द महाजन
06–02–2008

21. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 में 60 पन्तनगर–गदरपुर वि0स0 क्षेत्र जनपद उधमसिंहनगर में अतिवृष्टि से कितने धन व जन की हानि हुई है एवं कितने कि0मी0 मार्ग व पुलिया क्षतिग्रस्त हुए है एवं सरकार द्वारा बचाव कार्य हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **आपदा प्रबन्धन**

श्रीमती आशा नौटियाल 07–02–2008	**22.** क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग में आम जनता से जुड़ी जिला सहकारी बैंक की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है? यदि हाँ तो कब तक इस क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक की स्थापना कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	सहकारिता
श्रीमती आशा नौटियाल 07–02–2008	**23.** क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग के भणज क्षेत्र की जनता लगातार पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग करती आ रही है? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पशु चिकित्सालय केन्द्र शीघ्र खालने पर विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	पशुपालन
श्री प्रेमानन्द महाजन 07–02–2008	**24.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वर्ष में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, पन्तनगर जिला उधमसिंहनगर में 240 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों को नियमित करने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 07–02–2008	**25.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला उधमसिंह नगर में कितने जॉब कार्डों का वितरण हुआ है एवं अब तक जनपद में इस योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है?	ग्राम्य विकास
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 08–02–2008	**26.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रदेश के किन जनपदों में कब से चलाई जा रही है और किस जनपद में कितनी धनराशि अभी तक खर्च कर ली गई है? क्या योजना के उदेश्य्य के अनुरूप लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री गोपाल सिंह राणा 08–02–2008	**27.** क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद उधमसिंह नगर में तहसील खटीमा का कार्यालय भवन निर्माणाधीन है? क्या यह सत्य है कि तहसील खटीमा कार्यालय भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया? यदि हाँ तो क्या सरकार तहसील भवन का निर्माण कार्य पुनः कब तक प्रारम्भ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री गोपाल सिंह रावत 11–02–2008	**28.** क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में काश्तकारों के द्वारा नकदी फसलों विशेषतया सब्जी उत्पादन किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि उचित भण्डारण एवं मण्डियों के अभाव में काश्तकारों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद में शीत भण्डारण तथा मण्डी समितियों की स्थापना करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्रीमती अमृता रावत 11–02–2008	**29.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली–रीठाखाल–पोखड़ा–बैजरों मोटर मार्ग से ग्राम बोरगांव, ढुंगा, कफोलगांव, हड़कोट मल्ला, हड़कोट तल्ला, खेड़गांव, नौला, थापला, माल्ड छोटा, माल्ड बड़ा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 664/20डी दिनांक 15.07.2005 पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक उक्त मोटर मार्गों का संयोजन स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

श्रीमती अमृता रावत 11–02–2008	**30.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002–03 विधायक निधि से स्वीकृत/चयनित ऐसी कौन–कौन सी योजनाऐं हैं जिनके निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न किए जाने और अग्रिम धनराशि का भुगतान किए जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी के प्रति अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?	**ग्राम्य विकास**
श्री गोपाल सिंह रावत 12–02–2008	**31.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत और चालू कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है? यदि हाँ तो क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत और चालू कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**ग्राम्य विकास**
श्री गोपाल सिंह रावत 12–02–2008	**32.** क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत शीतकालीन गोदाम झाला में अक्टूबर 2007 से 31 जनवरी 2008 तक कुल कितना राशन विभाग द्वारा जमा किया गया है तथा कितना राशन उक्त गोदाम से किन किन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री गोपाल सिंह रावत 12–02–2008	**33.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत भूस्खलन प्रभावितों में आंशिक रूप से प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री गोपाल सिंह रावत 12–02–2008	**34.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड उत्तरकाशी को दिया गया है? क्या यह सत्य है कि उक्त विभाग के पास सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य स्टाफ की भारी कमी है? यदि हाँ तो मोटरमार्गों के निर्माण में गति लाने हेतु अभियन्ताओं तथा स्टाफ कब तक तैनात कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**ग्राम्य विकास**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 13–02–2008	**35.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत कितनी सड़कें उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत हैं तथा इनमें कितने चरणों में कितने कि0मी0 कार्य हो चुका है? क्या निर्माण कार्य निर्धारित मानकों व लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है? यदि नहीं, तो स्थिति सुधारने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?	**ग्राम्य विकास**
श्री प्रीतम सिंह 14–02–2008	**36.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा ब्लाक स्तर पर ग्राम्य सचिवालय की स्थापना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**ग्राम्य विकास**

श्री प्रीतम सिंह 14–02–2008	**37.** क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र खोले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 14–02–2008	**38.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की नियुक्ति–भर्ती सम्बन्धी कोई नीति बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 1999 को इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उक्त दिशा–निर्देशों को प्रदेश में कब तक लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री सुरेन्द्र राकेश 14–02–2008	**39.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वे सूची में कुछ बी0पी0एल0 के पात्र व्यक्ति सर्वे सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार बी0पी0एल0 सूची में संशोधन कर बी0पी0एल0 के पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री सुरेन्द्र राकेश 14–02–2008	**40.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में उत्तराखण्ड राज्य को जनपदवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? क्या हद्विार जनपद में प्राप्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं तो धनराशि को उपयोग न करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इन कारणों को दूर करेगी? यदि हाँ तो कब तक?	ग्राम्य विकास
श्री गोपाल सिंह रावत 15–02–2008	**41.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी तथा डुण्डा में कुल कितने परिवार आवास विहीन तथा कच्चे आवास की श्रेणी में हैं? क्या सरकार विकासखण्डवार आवास विहीन तथा कच्चे आवास की श्रेणी वाली सूची उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री गोपाल सिंह रावत 18–02–2008	**42.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित किन किन गांवों के पुनर्वास हेतु भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है? प्रभावित गांवों का कब तक भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री तिलक राज बेहड़ 21–02–2008	**43.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार विधायक निधि की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री गोपाल सिंह रावत 21–02–2008	**44.** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1998 में इन्द्रवती नदी में आयी बाढ़ के कारण वाड़ागढ़ी क्षेत्र के 11 गांवों में 580 परिवारों की 40.962 है0 कृषि भूमि फसल सहित दरियावुर्द हुई थी? क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा उक्त गांवों के प्रभावित काश्तकारों की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि एवं फसल के लिए रू0 5,12,075.00 लाख की राहत राशि आंकलित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त राहत राशि का प्रभावित काश्तकारों को कब तक भुगतान करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रकिया संबंधी निनेश के नियम 162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 23 नवम्बर, 2007 के संबंध में "शोधन वक्तव्य"।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या- 10

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में ऐसे कितने स0 अध्यापिकाऐं या सहायक अध्यापक (बी0टी0सी0) वाले हैं जो विगत 25 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों (इण्टर/ हाईस्कूल स्तर) में अध्यापन कार्यकर रहे हैं लेकिन उनको उक्त समय से वर्तमान तक कोई पदोन्नति/पंचम वेतनमान नहीं दी जा रही है?	जी कोई नहीं।	प्रदेश में बी0टी0सी0 वेतनक्रम वाले 45 शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में पंचम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है किन्तु पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

यदि हाँ, तो जिलेवार स्पष्ट स्थिति क्या है?	शून्य	जनपदवार स्थितिः-

क्रम स0	जनपद का नाम	बी0टी0सी0 ग्रेड के अध्यापकों की संख्या
1.	पौड़ी	04
2.	रूद्रप्रयाग	05
3.	नैनीताल	03
4.	ऊधमसिंह नगर	14
5.	बागेश्वर	04
6.	पिथौरागढ़	02
7.	अल्मोड़ा	06
8.	चम्पावत	04
9.	हरिद्वार	03
10.	चमोली	-
11.	टिहरी	-
12.	उत्तराकाशी	-
13.	देहरादून	-
	योग	45

क्या ऐसे सहायक अध्यापिकाओं /अध्यापक (बी0टी0सी0) को उक्त सुविधा देने पर विचार कर रही है और कब तक?	प्रश्न ही नहीं उठता।	जी हाँ, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 में समायोजन/पदोन्नति का प्राविधान है।

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अतारांकित प्रश्न-10 का पूर्व में गलत उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को निर्देशित किया जा चुका है।

मदन कौशिक,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी "घ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ङ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 20 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "च"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "छ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 27 वन विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ज"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 24 **परिवहन विभाग।**

प्रस्तावक के नाम			प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	1.	डा0 हरक सिंह रावत,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
	2.	श्री तिलक राज बेहड़,	
	3.	श्री प्रीतम सिंह,	
	4.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,	
	5.	श्रीमती अमृता रावत,	
	6.	श्री दिनेश अग्रवाल,	
	7.	श्री जोत सिंह गुनसोला,	
	8.	श्री रणजीत सिंह रावत,	
	9.	श्री बलवीर सिंह नेगी,	
	10.	श्री किशोर उपाध्याय,	
	11.	श्री गोपाल सिंह राणा,	
	12.	डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,	
	13.	श्री केदार सिंह रावत,	
	14.	श्री करन माहरा,	
	15.	श्री मनोज तिवारी,	
(ख)	1.	श्री शहजाद,	
	2.	श्री हरिदास,	
	3.	काजी मौ0 निजामुद्दीन,	
	4.	चौ0 यशवीर सिंह,	-तदैव-
	5.	श्री सुरेन्द्र राकेश,	
	6.	श्री तसलीम अहमद,	
	7.	श्री नारायण पाल,	
	8.	श्री प्रेमानन्द महाजन।	

नत्थी "झ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 19 ग्राम्य विकास विभाग।

प्रस्तावक के नाम

(क)
1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री तिलक राज बेहड़,
3. श्री प्रीतम सिंह,
4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
5. श्रीमती अमृता रावत,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री जोत सिंह गुनसोला,
8. श्री रणजीत सिंह रावत,
9. श्री बलवीर सिंह नेगी,
10. श्री किशोर उपाध्याय,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
13. श्री केदार सिंह रावत,
14. श्री करन माहरा,
15. श्री मनोज तिवारी,

(ख)
1. श्री शहजाद,
2. श्री हरिदास,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. चौ0 यशवीर सिंह,
5. श्री सुरेन्द्र राकेश,
6. श्री तसलीम अहमद,
7. श्री नारायण पाल,
8. श्री प्रेमानन्द महाजन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

-तदैव-

नत्थी "ञ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 18 सहकारिता विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ट"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ठ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 25 खाद्य विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ड"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 17

कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग।

प्रस्तावक के नाम

(क)
1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री तिलक राज बेहड़,
3. श्री प्रीतम सिंह,
4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
5. श्रीमती अमृता रावत,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री जोत सिंह गुनसोला,
8. श्री रणजीत सिंह रावत,
9. श्री बलवीर सिंह नेगी,
10. श्री किशोर उपाध्याय,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
13. श्री केदार सिंह रावत,
14. श्री करन माहरा,
15. श्री मनोज तिवारी,

(ख)
1. श्री शहजाद,
2. श्री हरिदास,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. चौ0 यशवीर सिंह,
5. श्री सुरेन्द्र राकेश,
6. श्री तसलीम अहमद,
7. श्री नारायण पाल,
8. श्री प्रेमानन्द महाजन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

-तदैव-

नत्थी "ढ़"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 28 पशुपालन संबंधी कार्य विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "ण"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 08 आबकारी विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "त"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "थ"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 16 श्रम एवं रोजगार विभाग।

प्रस्तावक के नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-

नत्थी "द"

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या - 26 पर्यटन विभाग।

प्रस्तावक के नाम		प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री तिलक राज बेहड़, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. श्रीमती अमृता रावत, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री जोत सिंह गुनसोला, 8. श्री रणजीत सिंह रावत, 9. श्री बलवीर सिंह नेगी, 10. श्री किशोर उपाध्याय, 11. श्री गोपाल सिंह राणा, 12. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 13. श्री केदार सिंह रावत, 14. श्री करन माहरा, 15. श्री मनोज तिवारी,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री तसलीम अहमद, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन।	-तदैव-